Dr. Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.). RMC, VKSU.

BA. 2, paper - 3, Indian Govt. and Politics

Date - 02. 02. 2022

राष्ट्रपति (President of India).

Article 56 - अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक।

योग्यता - वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग (Impeachment) की ~~प्रकार~~ प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत कर दे। यह एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दी जाती है। यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों को ~~देखता है~~ निर्वहन करता है।

→

राष्ट्रपति की शक्तियां :-

1. कार्यकारी शक्तियां (executive powers)
2. विधायी शक्तियां (legislative powers)
3. न्यायिक शक्तियां (Judicial ")
4. सैन्य शक्तियां (military powers).
5. आपातकालीन शक्तियां (Emergency Powers).
6. Veto power

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां –

Art 53(1). संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनु. 74(1) राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारत सरकार के समस्त कार्य शासन संबंधी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।

- भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री (PM) की नियुक्ति करता है। PM की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। मंत्रिगण राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।
- अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन करता है जिससे केंद्र राज्य एंव विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग एंव समन्वय स्थापित हो सके।
- वित्त आयोग का गठन, विभिन्न आयोगों की नियुक्ति
- राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों की एंव संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है।
- राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है एंव वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।

⟹

Scanned with CamScanner